न्यायालय S-D-O. बरेली
धारा-143 ZALR
[illegible]
ग्राम - हैदराबाद उर्फ [illegible]
[illegible] जिला - बरेली
[illegible] 6-6-90

न्यायालय परगनाधिकारी बरेली ।

आदेश दि. 6-6-90

प्रार्थी मैसर्स गोयल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर श्रीसत्येन्द्र प्रकाश गोयल पुत्र श्री हृदय नरायन गोयल निवासी सिविल लाइन्स बरेली के प्रार्थनापत्र दिनांकित- 23.4.90 पर प्राप्त तहसीलदार बरेली की आख्या दिनांकित- 1.6.90 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी जिसके नम्बर क्रमशः 885 रकबई 0-152 एकड़ व 886 रकबई 0-152 एकड़, 887 रकबई 0-051 व 888 रकबई 0-253 व 889 रकबई 0-139 व 890 रकबई 0-519 है, तथा जो ग्राम हैदराबाद उर्फ लाढोजा में स्थित है, पूर्णतः अकृषक है तथा मौके पर उद्योग लगाने हेतु भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है । इस आराजी का प्रयोग अब कृषि कार्य, उद्यानकरण या पशुपालन जिसमें मत्स्यपालन और कुक्कुट पालन भी शामिल है, के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है । जाँच आख्या के साथ जो नियम 135(1) जमीं.वि.अ. के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रेषित की गयी है, उसमें भी भूखान्ड संख्या- अकृषक के रूप में दर्शाये गये हैं ।

अतएव, मैं, देवेन्द्र कुमार तोमर, परगनाधिकारी बरेली ग्राम हैदराबाद उर्फ लाढोजा परगना तहसील व जिला बरेली में स्थित विवादित भूखान्ड संख्या- 885, 886, 887, 888, 889 व 890 जिसका कुल क्षेत्रफल 1-266 हैक्टेयर है, को जमींदारी विनाश अधि. की धारा- 143 के अन्तर्गत अकृषक घोषित करता हूँ । तदनुसार अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदारबरेली को भेजी जावे ।

ह० [illegible]

दिनांक- 6-6-1990

(देवेन्द्र कुमार तोमर)
परगना अधिकारीबरेली ।

6.6.1990

2572
22-12-90
22-12-90
22-12-90

छाया प्रतिलिपि
दिनांक 22-12-90

131